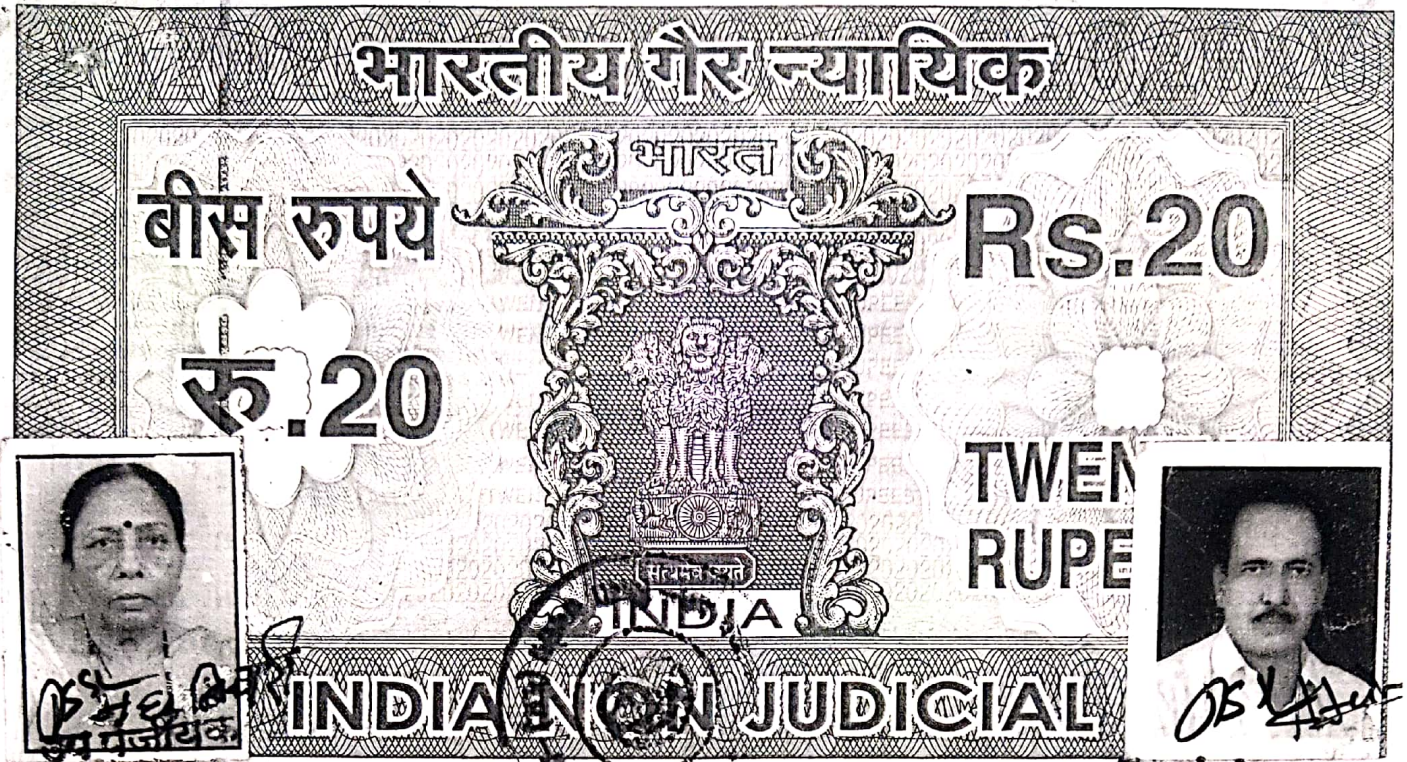




ओबेदुल्लागंज
मध्य प्रदेश

MADHYA PRADESH

विक्रय पत्र

उय पंजीयक
ओबेदुल्लागंज 19467

विक्रय पत्र मालयति रुपये 40,00,000 / -

बाजार भावनुसार 80,20,000 / -

(शब्दों में अस्सी लाख बीस हजार रुपये मात्र)

ऋण पुस्तिका एल क्रमांक एम 042537

शासकीय मुद्रांक शुल्क	रुपये	4,01,000 / -
पंचायत मुद्रांक शुल्क	रुपये	80,200 / -
नगर पालिका मुद्रांक शुल्क	रुपये	80,200 / -
उपकर मुद्रांक शुल्क	रुपये	20,050 / -
अधिक	रुपये	 / -
कुल योग	रुपये	5,81,450 / -

Handwritten signature

Handwritten signature

श्रीमती मधु तिवारी पत्नि श्री गोपाल तिवारी
निवासी- शिवमंदिर काम्पलेक्स नई दिल्ली
विक्रय-पत्र

मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी
द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलाल जी जैन
निवासी-एच.बी-19, अभिरुचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म0प्र0

अनिल कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
स्टेशन रोड, मण्डीदीप

श्री अनिल कुमार जैन 9827089537

5/6 स्व. श्री बाबूलाल जी जैन
द्वारा उप-जिला मजिस्ट्रेट
जिला रायसेन के उप मजिस्ट्रेट

कार्यालय में मसौदा [10 APR 2012

को म. पू. म. प.
उपे प्रस्तुत किया गया 4.30

म. पू. म. प.

Advis

4.30

MV - 1,06,80,000/-

म. पू. म. प. के अन्तर्गत शुल्क	534000/-
स्थापना शुल्क	106800/-
दस्तावेज शुल्क	106800/-
डि. कर	26700/-
वातान्वित शुल्क	
वर्षिक	20/-
दोष	7,74,320/-

म. पू. म. प.

A1
9/4
77.12 65

30 रसीद दस्तावेज वगैरह

m

क्र.सं.	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तावेज
1	2	3	4
	अनिल क/ 8020000 म. 10680000 87.77.12	85615	

दिनांक 10 APR 2012

स्थान मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH श्रीमती मधु तिवारी पत्नी श्री गोपाल तिवारी आयु-60 वर्ष, जिला-तिवारी

नाम क्रेता :- मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलाल जी जैन आयु 50 वर्ष, निवासी-एच.बी-19, अभिरुचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म0प्र0 राष्ट्रीयता भारतीय।

विक्रय की गई भूमि का विवरण :-

विक्रय भूमि स्थित ग्राम-मण्डीदीप, प.ह.न.-03, वार्ड नं0-17, मण्डीदीप, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन म0प्र0 में स्थित है।

खसरा नं.	रकबा	भू-भाटक
438/1	0.405हे0	3.13रू0
438/2	0.405हे0	3.13रू0
दो किता	0.810हे0	6.26रू0

उपरोक्त भूमि डायवर्टेड है। जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं किसी भी राज्य मार्ग स्थित नहीं है। यह भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है। जिसके विक्रय किये जाने में कोई न्यायालयीन रोक नहीं है। विक्रय भूमि की चतुर्थ सीमाएँ निम्नानुसार है

पूर्व में : अन्य की भूमि
पश्चिम में : नदी
उत्तर में : खसरा क्रमांक 437/1/1/1/2 की भूमि
दक्षिण में : अन्य की भूमि

Aditya

मध्य तिवारी



मध्य प्रदेश / MADHYA PRADESH // 3 // 09AA 019469
डायवर्सन का विवरण :- न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज, जिला-रायसेन के राजस्व प्रकरण क्रमांक 69/अ-2010-11 आदेश पारित दिनांक 24.07.2011 द्वारा उक्त भूमि का डायवर्सन किया गया है।

मूल्य एवं भुगतान :- विक्रय भूमि का विक्रय मूल्य दोनों पक्षों के बीच राशि रुपये 40,00,000/- (शब्दों में बीस लाख रुपये मात्र) का आर.टी.जी.एस. क्रमांक 261576 दिनांक 09.04.12 भारतीय स्टेट बैंक शाखा हबीबगंज भोपाल द्वारा क्रेता के बैंक आफ बडौदा के खाता क्रमांक 29190100000574 शाखा साकेत नईदिल्ली में ट्रांसफर किये हैं। इस प्रकार संपूर्ण विक्रय राशि रुपये 40,00,000/- रुपये क्रेता ने विक्रेता को भुगतान किये। इस प्रकार विक्रय राशि में कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

अन्य विवरण :-

ऐसा जो कि विक्रय की जा रही भूमि विक्रेता की स्वयं की है। जो कि क्रय शुदा भूमि है। जो उसने पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है। जिसका पंजीयन दिनांक 11.06.2008 ग्रंथ क्रमांक 1587 पृष्ठ 12 क्रमांक 61 से 72 एवं दस्तावेज क्रमांक 293 पर उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लाहगंज में पंजीबद्ध है। जो विक्रेता के स्वामित्व की है जो विक्रेता के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य में हैं।

यह कि विक्रय की जा रही भूमि हर प्रकार के भार व रहन से पूर्णतया मुक्त है, एवं विक्रय भूमि कहीं पर भी दान, बंधक, जमानत, एवं वसीयत, इत्यादि में नहीं रखी गई है एवं उक्त भूमि के संबंध में भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में प्रकरण लंबित नहीं है, एवं न ही उक्त भूमि के विक्रय पर किसी प्रकार की कोई रोक लगी है व उक्त भूमि के विक्रय से म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की किसी भी का कोई उल्लंघन नहीं होता है, व मुझ विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय एवं हस्तांतरण के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

Asim

सत्यमेव जयते



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH // 4 //

09AA 019470

यह कि विक्रेता द्वारा उक्त भूमि रुपये 40,00,000/- में सदैव-सदैव के लिये क्रेता को विक्रय कर दी है व ऊपर लिखे अनुसार विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि भी प्राप्त कर कर ली गई है व विक्रय मूल्य में से क्रेता से अब कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है एवं न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रेता द्वारा उपरोक्त भूमि का रिक्त आधिपत्य बहैसियत स्वामी क्रेता को सौंप दिया गया है व क्रेता को संपूर्ण अधिकार है कि वह उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग बहैसियत स्वामी करे व उक्त भूमि का नामांतरण शासकीय अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराये व उसमें जहां कहीं भी हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, हम विक्रेता करके देंगे। उक्त भूमि पर अब हम विक्रेता व हमारे वारिसान व हित संबंधियों आदि का कोई भी हित निहित नहीं रहा है और न भविष्य में रहेगा व यदि विक्रेता पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आपत्ति या विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह झूठा एवं सारहीन माना जावेगा।

यह कि उक्त भूमि पर आज दिनांक से पूर्व का जो भी बकाया शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक, सोसायटी इत्यादि का निकलता है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी व यदि ऐसी कोई राशि क्रेता को अदा करनी पड़ी तो उसकी भरपाई हम विक्रेता स्वयं करूंगा। यह कि विक्रय की जा रही भूमि से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की किसी धारा का कोई उल्लंघन नहीं होता है और न ही किसी अन्य कानून का कोई उल्लंघन होता है व विक्रेता को बहैसियत स्वामी उपरोक्त भूमि विक्रय करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रय पत्र पंजीयन (मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क) का वहन क्रेता पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

Asim

मध्य प्रदेश



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

09AA 019471

यह कि यदि विक्रेता के स्वत्व स्वामित्व की त्रुटि की वजह से विक्रय की जा रही भूमि या उसका कोई अंशभाग का कब्जा क्रेता के आधिपत्य से निकल जाता है तो ऐसी भूमि का उस समय के प्रचलित बाजार मूल्य क्रेता, विक्रेता से मय हर्जे-खर्चे के प्राप्त करने के अधिकारी होंगे एवं उपरोक्त वर्णित राशि विक्रेता द्वारा अदा न करने की स्थिति में क्रेता को यह अधिकार होगा वह उपरोक्त राशियों की भरपाई वैधानिक कार्यवाही कर प्राप्त कर सकेंगे।

यह कि विक्रय की जा रही भूमि को विक्रेता ने मौके पर वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य, कब्जा उक्ता क्रेता को दे दिया है एवं अब इस विक्रय पत्र के पंजीयन के पश्चात क्रेता ही इस भूमि के स्वामी हो गये हैं और मुझ विक्रेता का उक्त भूमि पर जो मेरे स्वत्व स्वामित्व के अधिकार थे वह मैंने उक्त क्रेता को दे दिये हैं। क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त वर्णित विक्रय भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

इस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को अधिकार होगा कि वह संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में उक्त वर्णित भूमि का नामांतरण अपने नाम पर करा लें जिसमें विक्रेता सहयोग देने के लिए तत्पर एवं पाबंद रहेगा। क्रेता विक्रय भूमि से बहैसियत मालिक व स्वामी के हर प्रकार का लाभ उठावे उसे रहन, विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, वसीयत इत्यादि कर हर प्रकार से लाभान्वित होंगे।

विक्रेता ने उक्त दस्तावेज के पंजीयन में भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) का उल्लंघन नहीं किया है।

Aditya

सहचरिता

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 7/6/

09AA 019472

अस्तु यह विक्रय पत्र विक्रेता द्वारा सहर्ष, राजी खुशी तथा बिना किसी भय, दबाव एवं प्रलोभन के स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ दशा और पूर्ण होश हवास में क्रेता के पक्ष में संपादित व पंजीयन करवा दिया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

इति दिनांक :- 10.04.2012

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

साक्षीगण-

हस्ताक्षर

नाम :- राजीव सिंह गौर

पिता का नाम :- श्री जगदीश सिंह गौर

पता :- 276 कोटर सुलतानाबाद भोपाल

हस्ताक्षर

नाम :- अनिल जादोन

पिता का नाम :- श्री के.पी. जादोन

पता :- A-30 स्वदेश नगर अशोकगार्ड

कामिनी गुप्ता भोपाल

अधिवक्ता

जी.एम-4, ए-ब्लाक

मानसरोवर कांम्प्लेक्स 7, नं० स्टाप भोपाल

नोट :- इस दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं है।

मो० नं०-9826080941

05.07.12

1510 + 1509

100 + 100

राजेन्द्र गुप्ता
रयाम चिकित्सा
पुश्पा विधान सभा के समवे, नेपाल

21 MAR 2012

17 JUL 2012

को प्रस्ताव क्रमांक A.C.L. मतिरिक्त
पंथ 2329 के पृष्ठ 07
70 76 नक क 914
वेकर पंथीयत किया गया।
सोवेवृत्तागत

राजेन्द्र गुप्ता

राजेन्द्र गुप्ता के द्वारा किया गया

राजेन्द्र गुप्ता

कुल मूल्य

नोट मूल्य

85585=60

30500

कुल मूल्य

कुल मूल्य

कुल मूल्य

85615=60

कुल मूल्य

राजेन्द्र गुप्ता